जायेगा, जिससे कि वे इस वर्ष पीने के पानी की अभूतपूर्व समस्या से निपट सकें;

(ग) क्या इस संबंध में अन्य राज्यों से भी कोई प्रस्ताव आये हैं और यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा): (क) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में कठिन समस्यावाली 1100 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में पीने के पानी की सप्लाई के लिये प्रत्येक में एक हैंडपम्प लगाने के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को दी गई शक्तियों के अंतर्गत प्रति हैंडपम्प 18000 रुपये की अधिकतम लागत के अन्दर योजनाओं की स्वीकृति सलाह दी गई थी।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्य सरकारों को सूचित किया गया था कि 18000 रुपये से अधिक लागत को उनके द्वारा उनके राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में से पूरा किया जाना है। तथापि, सामान्य केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 18000 रुपए से अधिक लागत वाली योजनाओं के लिये अलग-अलग योजना के गुण-दोष और तकनीकी ब्यौरों के आधार पर तकनीकी स्वीकृति दी जाती है।

Discontinuance of the purchase of pure Drinks brands of soft drinks by railways

1147. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railways have stopped the purchase of pure Drinks brands of soft drinks;

(b) if so, since when; and

(c) the reasons for not purchasing the soft drinks of Pure Drinks?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI AJAY SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Ordar was assued on 18th January. 1990.

(c) M/s Orisntal Building & Furnishing Company Ltd. a sister concern of Pure Drinks Ltd. and M/s Pure Drinks themselves are in unauthorised occupation of railway land in Now Delhi worth crores of rupees. Not only thesaid group failed to pay to the Railways large amounts due for the use of land in the past, but they continue to occupy and use the said land without any right and without paying any dues.

समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत कर्मचारी

1148. श्रीमती वीणा वर्मा :
श्री कपिल वर्मा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत काम करने वाली लगभग 5 लाख महिला कर्मचारी अत्यन्त दयनीय स्थिति में रह रही हैं; यदि हां, तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत कितनी आंगनबाड़ियां चल रही हैं और किन किन सेवा-शर्तों के अधीन महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाती है?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह): (क) देश में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 2.70 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और इतनी ही संख्या में सहायिकाएं हैं। योजना में समुदाय की सहभागिता एक अनिवार्य घटक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्थानीय समुदाय से अंशकालिक अवैतनिक कार्यकर्ता होती है उनकी स्थिति दयनीय नहीं होती और सरकार ने उनकी स्थितियों में सुधार करने के